न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 12/2021

1. कश्मीर सिंह
2. छिन्दा सिंह पिसरान सोहन सिंह
3. गुरूनाम सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति सिख निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत सहसन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सहसन तहसील पहाडी

रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 20/06/2005
ग्राम पंचायत सहसन तहसील पहाडी

1. श्री मौहम्मद खाँ वकील अपीलान्ट

दिनांक :– 25/03/2022

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्ट इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 4524/0.05, 4991/0.62, 5002/0.23, 5493/0.02, 3494/0.02, 5495/0.06, 5496/0.03, 5497/0.05, 5498/0.12 हैक्टर बांके ग्राम सहसन द्वितीय तहसील पहाडी में स्थिति है आराजी मुत0 अपीलान्ट के पिता की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर अपीलान्ट का कब्जा व काश्त है। अपीलान्ट का भाई मलकीत सिंह फौत हो चुका है जिसका कोई वारिस नहीं है। जो लावल्द बिला औरत फौत हुआ हैं। अपीलान्ट की माता प्रीतोबाई फौत हो चुकी है जरनैल सिंह के वारिसान फौत हो चुके है जिसके कोई अन्य वारिस नहीं है एवं शरणोबाई, रानीबाई, गुरूमीतकौर पुत्रीयान सोहन सिंह ने अपीलान्ट के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सहसन अपीलान्ट से चुनावी रंजिश रखता है इसलिए अपीलान्ट नुकसान एवं तंग व परेशान करने की गरज से सरपंच द्वारा बिना किसी आधार के अपीलान्ट का विरासत का दाखिल खारिज निरस्त कर

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कानून के सिद्धान्तो की जानबूझकर खिलाफ वर्जी की गई है।इसलिए सरपंच ग्राम पंचायत सहसन का आदेश काबिले खारिजी है। सरपंच ने अपीलान्ट का विरासत का दाखिल खारिज पुनः निर्णय करते समय अपीलान्ट को सूचित भी नहीं किया गया और ना ही सुनवाई का मौका दिया गया अपीलान्ट को उक्त दाखिल खारिज की खारिज होने बाबत जानकारी नकल दाखिल खारिज लेने पर दिनांक 26/11/2021 को हुई। इसलिए अपील अन्दर म्याद है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत सहसन के आदेश दिनांक 20/06/2005 को निरस्त कर अपीलान्ट के नाम आराजी मुत0 बांके ग्राम सहसन द्वितीय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । रैस्पोडेन्ट बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। उसके विरूद्ध दिनांक 08/03/2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों दोहराया है। हमने बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 278 दिनांक 20.06.2005 को खारिज करने का निवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत सहसन द्वारा प्रार्थी का नामान्तरण विधिक वारिसान के नाम खोला गया था। परन्तु उसी दिन एक वारिसान के नाम में भिन्नता होने के कारण बिना कोई जांच किये सरसरी तौर पर नामान्तरण पुनः निर्णय कर खारिज कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सहसन द्वारा इस संबंध में अपने निर्णय में कोई तथ्य या टिप्पणी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए ग्राम पंचायत सहसन द्वारा नामान्तरण गलत खारिज किया गया है। इसके कारण आज भी राजस्व रिकॉर्ड में भूमि मृतक के नाम दर्ज है। जो कि विधि के विपरीत है। अतः पुनः नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा नामान्तरण संख्या 278 दिनांक 20/06/2005 सरपंच ग्राम पंचायत सहसन को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार पहाड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे मृतक सोहन सिंह के वारिसान की जाँच कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करे। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाड़ी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय निर्णय आज दिनांक 25/03/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner